

जीएसटी गैर-नामांकन की घोषणा

महोदय/महोदया,

विषय: केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण नहीं होने की घोषणा ।

हम.....
.....इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हम वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण नहीं हैं (हमारा वार्षिक कुल कारोबार वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत निर्दिष्ट योग्य सीमा से कम है) अतः अनुरोध हैं कि कृपया इस संचार को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं होने घोषणा रूप में मानने का कष्ट करें ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

व्यवसाय ईकाई की मोहर/मुहर